PV

771 राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

वकील द्वारा अधिकार पत्र/वकालतनामा पेश
नोटिस तामील हो चुके हैं
जवाब, अनुपस्थित

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/21

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	17/24	24.1.24	निर्णीत 22/5/24	2.2.24 15.3.24 3.5.24 14.5.24 15.5.24 बहस/निर्णय

अनवान

श्री राज० सरकार जरिये तहसीलदार V/S श्री अभिषेक सिंह महावीर बंजारा

निवासी बिजौलिया निवासी ऊँचा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री .... श्री X

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

[illegible]ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम अभिषेक बंजारा

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 17 सन 2024

[illegible]ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी हुए
[illegible]/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 9/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
[illegible]/2/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 9/2/24 को पेश हो। [signature]	
[illegible]/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/2/24 को वास्ते उ.आ. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
[illegible]/2/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/3/24 को वास्ते उ.आ. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
[illegible]/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/4/24 के वास्ते उ.आ. [illegible]। [signature] उप खण्ड अधिकारी	

दिनांक	कार्यवाही
3/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/5/24 को वास्ते उ. अ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
14/5/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए, क्योंकि बाद सूचना विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को 3 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई पेश नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते बहस / निर्णय आगामी दिनांक 15/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
15/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 22/5/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली में डिक्री मुरत्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा) उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 17/2024 दायर तारीख 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. अभिषेक पुत्र महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. कैलाश पुत्र अमरा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. जगदीश पुत्र अमरा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. धनराज पुत्र महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. नरसिंह पुत्र चन्दा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. निर्मल पुत्र चन्दा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. भुरा पुत्र नाराण जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
8. मु. नन्दू पत्नी अमरा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
9. रीना पुत्री महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
10. सुन्दर पत्नी महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
11. सपना पुत्री महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/05/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आटी, पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 112 रकबा 0.2590 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 112 रकबा 0.2590 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि में खातेदारो का मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 112 रकबा 0.2590 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि पर मौके पर अवैध खनन होकर पानी भरा हुआ हैं। प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादी की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पृष्ठ संख्या 02 पर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जो शामील पत्रावली हैं। बार–बार आवाज लगायी गयी। न तो प्रतिवादी और न ही प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

प्रतिवादी वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नया खाता संख्या 85 ग्राम आटी, पटवार मण्डल गुढा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 20.01.2024 की प्रति, नक्शा, गुगल फोटो, कलर फोटोग्राफ –2 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम आटी, पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 112 रकबा 0.2590 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि पर मौके पर अवैध खनन होकर पानी भरा हुआ हैं एवं प्रतिवादीगणों द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आटी, पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 112 रकबा 0.2590 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री (अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 17 / 2024 दायर तारीख 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

1. अभिषेक पुत्र महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. कैलाश पुत्र अमरा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. जगदीश पुत्र अमरा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. धनराज पुत्र महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. नरसिंह पुत्र चन्दा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. निर्मल पुत्र चन्दा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. भुरा पुत्र नाराण जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
8. मु. नन्दू पत्नी अमरा जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
9. रीना पुत्री महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
10. सुन्दर पत्नी महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
11. सपना पुत्री महावीर जाति बंजारा निवासी आटी, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.........मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22/05/2024

डिक्री दिनांक : 22/05/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रुप से** डिक्री किया जाकर ग्राम आटी, पटवार मण्डल गुढा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 112 रकबा 0.2590 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/05/2024 को जारी की गई।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

नीज ....Nil...................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .. .. Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)